aglasem.com

FOR SSC CPO PREPARATION

# SSC CPO 2023 Syllabus (in Hindi)

| EXAM | YEAR | TYPE |
| --- | --- | --- |
| SSC CPO | 2023 | Syllabus |

पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-I

(क) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना,स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला,कोडिंग एवं डिकोडिंग,विवरण निष्कर्ष,न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । यह विषय हैं : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतिकात्मक संक्रिया, उपनति, अंतराल अभिविन्यास, अंतराल विज्यूलाइजेशन, वैन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/ पैर्टन-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन, सूचीकरण,पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग, डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य सह- विषय, यदि कोई हो तो ।

(ख) सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जायेगें, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

(ग) संख्यात्मक अभिरूचि : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृतो की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज , वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

(घ) अंग्रेजी परिज्ञानः इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा ।

प्रश्नपत्र ।। अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञानः इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जाँच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की (क्रिया, पूर्वसर्ग, उपपद इत्यादि का

प्रयोग करके) पूर्ति, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य गठन, समानार्थक, विलोमार्थक, वाक्य पूरे करने, वाक्यांशों एवं शब्दों आदि के मुहावरेदार प्रयोग तथा परिज्ञान इत्यादि पर आधारित होंगे ।

टिप्पणी I : *आयोग के पास अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार रिक्तियों और श्रेणीवार संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रश्नपत्र-I के प्रत्येक भाग में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा । केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग द्वारा प्रश्नपत्र-I में निर्धारित कट- ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हों को शारीरिक क्षमता परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा में बैठना अपेक्षित होगा ।*

टिप्पणी II : केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिन्होंने शारीरिक क्षमता परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है और चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं, को प्रश्नपत्र-II में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी ।

टिप्पणी III : अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में ऐसे किसी भी अनुचित ढंग के इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो उन्हें परीक्षा के लिए आगे विचार किए जाने के लिए अपात्र बना देगा और इससे वे भविष्य में आपराधिक अभियोजन के अलावा आयोग की परीक्षा से वारित भी हो जाएंगे ।